

1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंकवि.सं.बीपी.बीसी.4/21.06.001/2015-16 - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
1	5.15.4	<p>....</p> <p>(viii) द्विपक्षीय नेटिंग से संबंधित विधिक स्थिति असंदिग्ध रूप से स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए।</p>	<p>....</p> <p>_(viii) द्विपक्षीय नेटिंग से संबंधित विधिक स्थिति असंदिग्ध रूप से स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोज़र मानदंडों के प्रयोजन के लिए ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए।</p> <p><u>(viii) जब व्युत्पन्न एक्सपोज़र 5.15.4 (ix) में विनिर्दिष्ट किसी प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदा द्वारा कवर किया जाता है, तो आरबीआई शुद्ध प्रतिस्थापन लागत होगी और ऐड-ऑन नीचे गणना के अनुसार औसत निवल (A_{Net}) होगा:</u></p> <p><u>(क) द्विपक्षीय नेटिंग फॉरवर्ड लेनदेन पर क्रेडिट एक्सपोज़र की गणना नेट मार्क-टू-मार्केट प्रतिस्थापन लागत यदि धनात्मक है तो इसमें, आभाषी अंतर्निहित मूलधन पर आधारित ऐड-ऑन को जोड़कर की जाएगी। नेटिंग लेनदेन (E_{Net}) के लिए ऐड-ऑन सकल ऐड-ऑन (E_{Gross}) के भारित औसत और सकल वर्तमान लागत मूल्य (एनजीआर) के निवल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के अनुपात से समायोजित किए गए सकल ऐड-ऑन के बराबर होगा। यह निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है:</u></p> <p><u>$E_{Net} = 0.4 \cdot E_{Gross} + 0.6 \cdot \text{एनजीआर} \cdot E_{Gross}$</u></p> <p><u>जहां :</u></p> <p><u>एनजीआर- विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं^{23A} के अधीन लेनदेन के लिए निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर/ निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर</u></p> <p><u>E_{Gross}- किसी प्रतिपक्षकार के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं के अधीन सभी लेनदेन से व्यक्तिगत ऐड-ऑन राशि (पैराग्राफ 5.15.4 और पैराग्राफ 8.6.3 की तालिका 9 में</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
			<p><u>निर्धारित उपयुक्त ऐड-ऑन कारकों द्वारा नोशनल मूल राशि को गुणा करके गणना की जाती है) का योग।</u></p> <p><u>(ख) वायदा विदेशी मुद्रा संविदा और अन्य समान संविदा जिसमें नोशनल मूल राशि नकदी प्रवाह के बराबर है, के लिए नेटिंग प्रतिपक्षकार के लिए संभावित भावी क्रेडिट जोखिम की गणना के प्रयोजनों के लिए, नोशनल मूल प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर निवल प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कारण यह है कि एक ही तारीख को परिपक्व होने वाली किसी मुद्रा में संविदा को ऑफसेट करने से भविष्य में कम संभावित एक्सपोजर के साथ-साथ वर्तमान एक्सपोजर भी कम होगा।</u></p> <p><u>फुटनोट 23A: बैंकों को सभी लेनदेन के लिए प्रतिपक्षी के आधार पर एनजीआर की गणना करनी चाहिए, जो विधिक रूप से लागू करने योग्य नेटिंग संविदाओं के अधीन हैं।</u></p> <p><u>(ix) पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए</u></p> <p><u>(क) बैंक नोवेशन के अधीन लेन-देन कर सकते हैं जिसके अंतर्गत किसी बैंक और उसके प्रतिपक्षकार के बीच किसी दिए गए मूल्य तिथि पर दी गई मुद्रा देने का कोई दायित्व स्वचालित रूप से एक ही मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है, जो विधिक रूप से पिछले सकल दायित्वों के लिए एक ही राशि का प्रतिस्थापन करता है।</u></p> <p><u>(ख) बैंक भी निवल लेन-देन कर सकते हैं, जिसमें अन्य प्रकार के नोवेशन सहित द्विपक्षीय नेटिंग का विधिक रूप से मान्य ऐसा कोई प्रकार जिसे (ए) में शामिल नहीं किया गया है।</u></p> <p><u>(ग) (क) और (ख) दोनों मामलों में, किसी बैंक को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि इसके पास:</u></p> <p><u>(i) प्रतिपक्षकार के साथ नेटिंग संविदा या समझौता है, जो एकल विधिक दायित्व निर्धारित करता है, जिसमें सभी सम्मिलित लेनदेन जैसे कि बैंक के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या जो प्रतिपक्षकार के डिफॉल्ट, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p><u>की परिस्थितियों में से किसी के कारण प्रदर्शन करने में विफल रहने की स्थिति में सम्मिलित व्यक्तिगत लेनदेन के सकारात्मक और नकारात्मक मार्क-ट्र-मार्केट मूल्यों के निवल राशि का भुगतान करने का दावा शामिल होगा;</u></p> <p><u>(ii) लिखित और तर्कसंगत विधिक राय कि, किसी विधिक चुनौती की स्थिति में, प्रासंगिक अदालत और प्रशासनिक अधिकारी बैंक के जोखिम को ऐसी निवल राशि मानेंगे जो:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>• उस क्षेत्राधिकार का विधि जिसमें प्रतिपक्षकार चार्टर्ड है और, यदि इसमें किसी प्रतिपक्षकार की विदेशी शाखा शामिल है, तो भी उस क्षेत्राधिकार के विधि के अंतर्गत जिसमें शाखा स्थित है;</u> <u>• व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करने वाला कानून और</u> <u>• नेटिंग को संपादित करने के लिए आवश्यक किसी भी संविदा या समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून।</u> <p><u>(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं कि संबंधित कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्थाओं की विधिक विशेषताओं की समीक्षा की जाए।</u></p> <p><u>(घ) इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करने के उद्देश्य से पलायनवादी खंड (वॉकअवे क्लॉज) वाले संविदा नेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। पलायनवादी खंड एक ऐसा प्रावधान है जो किसी गैर-चूककर्ता प्रतिपक्षकार को केवल सीमित भुगतान करने या किसी चूककर्ता की संपत्ति के लिए कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता निवल क्रेडिटर हो।</u></p>
7.3.8		रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन	<u>7.3.8.1 रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के</u>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रेक चेंज मोड में)
		<p>में प्रतिपक्षकार द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/ बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।</p> <p>.....</p>	<p>लेनदेन में प्रतिपक्षकार द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/ बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।</p> <p>.....</p> <p><u>7.3.8.2 द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं के अंतर्गत लेनदेन के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करने के लिए पैरा 7.3.6 में दिए गए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे इन दिशा-निर्देशों के पैरा 7.3.8.3 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करें।</u></p> $E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum(E_s \times H_s) + \sum(E_{fx} \times H_{fx})]\}$ <p><u>जहाँ :</u></p> <p><u>E^* = जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर मूल्य</u> <u>E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य</u> <u>C = प्राप्त जमानत का मूल्य</u> <u>E_s = दी गई प्रतिभूति की निवल स्थिति का पूर्ण मूल्य</u> <u>H_s = E_s के लिए उपयुक्त हेयरकट</u> <u>E_{fx} = निपटान मुद्रा से अलग मुद्रा में निवल स्थिति का पूर्ण मूल्य</u> <u>H_{fx} = बेमेल मुद्रा के लिए उपयुक्त हेयरकट</u></p> <p><u>यहां उद्देश्य यह है कि एक्सपोजर और जमानत तथा लेनदेन में शामिल प्रतिभूतियों के लिए संभावित मूल्य परिवर्तनों और विदेशी मुद्रा जोखिम, यदि कोई हो, के लिए ऐड-ऑन राशि के नेटिंग के बाद निवल जोखिम राशि प्राप्त हो। नेटिंग संविदा में शामिल प्रत्येक प्रतिभूति की निवल अधिक्रय या अधिविक्रय की स्थिति के लिए उचित हेयरकट से गुणा किया जाएगा। पैराग्राफ 7.3.6-7.3.7 में उल्लिखित हेयरकट की गणना के बारे में अन्य सभी नियम रेपो-स्टाइल लेनदेन के लिए द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं का उपयोग करके बैंकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।</u></p> <p><u>7.3.8.3 रेपो-स्टाइल लेनदेन से संबन्धित द्विपक्षीय नेटिंग संविदाओं के</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p><u>प्रभाव को प्रतिपक्ष-प्रतिपक्षकार आधार पर मान्यता दी जाएगी, यदि संविदा के चूक की घटना, चाहे प्रतिपक्षकार दिवालिया या बैंकरप्ट, पर प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। इसके अलावा, नेटिंग संविदा में निम्नलिखित अनिवार्य रूप होनी चाहिए:</u></p> <p><u>क) गैर-चूककर्ता पार्टी को प्रतिपक्षकार के दिवालियेपन या बैंकरप्ट होने की स्थिति शामिल सहित चूक की स्थिति में संविदा के अंतर्गत सभी लेनदेन को समय पर समाप्त करने और बंद करने का अधिकार प्रदान करें;</u></p> <p><u>ख) लेनदेन पर लाभ और हानि के लिए समाप्त और इसके अंतर्गत बंद किये गए लेनदेन की नेटिंग (किसी भी जमानत के मूल्य सहित) प्रदान करें, ताकि एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के लिए एकल निवल बकाया राशि प्राप्त हो सके;</u></p> <p><u>ग) चूक की स्थिति में त्वरित परिसमापन या जमानत के सेटऑफ के लिए अनुमति दें; और</u></p> <p><u>घ) चूक की स्थिति में और चाहे वह प्रतिपक्षकार के दिवालियेपन या बैंकरप्ट होने से हुई हो ऊपर (क) से (ग) तक आवश्यक प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से लागू किया जा सके।</u></p> <p><u>ड) बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक में विभिन्न स्थितियों की नेटिंग को तभी मान्यता मिलेगी जब नेटेड लेनदेन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे::</u></p> <p><u>(i) सभी लेनदेन दैनिक बाजार दर पर चिह्नित कर रहे हैं; और</u></p> <p><u>(ii) लेन-देन में प्रयुक्त जमानती लिखतों को बैंकिंग बही में पात्र वित्तीय जमानत के रूप में मान्यता दी जाती है।</u></p>
7.3.9	कोई संदर्भ नहीं		<p>एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:</p> <p><u>संपार्श्विक ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन</u></p> <p><u>व्यक्तिगत संविदा के लिए प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम प्रभार की गणना निम्नानुसार होगी:</u></p> <p><u>प्रतिपक्षी प्रभार = [(आरसी + ऐड-ऑन) - सीए] × आर × 9%</u></p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
			<p><u>जहाँ:</u> <u>आरसी = प्रतिस्थापन लागत,</u> <u>एड ऑन = पैराग्राफ 5.15.4 के अनुसार गणना की गई संभाव्य भविष्य जोखिम के लिए राशि</u> <u>सीए = पैराग्राफ 7.3.6-7.3.7 में निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत अस्थिरता समायोजित संपार्श्विक राशि या शून्य यदि कोई पात्र संपार्श्विक, लेन-देन पर लागू नहीं होता है</u> <u>आर = प्रतिपक्षकार का जोखिम भार।</u> <u>जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदा लागू होते हैं, तो आरसी शुद्ध प्रतिस्थापन लागत और एड-ऑन एनेट होंगे, जैसाकि पैरा 5.15.4 के अनुसार गणना की गई। मुद्रा जोखिम (एचएफएक्स) के लिए हेयरकट को तब लागू किया जाना चाहिए जब संपार्श्विक मुद्रा और निपटान मुद्रा के बीच मेल न हो। यहां तक कि उन मामलों में जहां एक्सपोजर, सांपार्श्विक और निपटान मुद्राओं में दो या दो से अधिक मुद्राएं शामिल हैं, मार्क टू मार्केट की आवृत्ति पर निर्भर होते हुए, आवश्यकता के अनुसार 10 कारोबार दिनों की धारण अवधि के लिए एक एकल हेयरकट को लागू किया जाएगा।</u></p>
	8.8.1.2 (vii)	<p>.....</p> <p>आम तौर पर डेरिवेटिव डीलर गतिशील क्रेडिट समायोजन का प्रयोग करते हैं जो ओटीसी डेरिवेटिव संविभाग के उनके काउंटरपार्टियों के साथ में हुए परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करते हैं। चूक जोखिम के लिए समायोजन के दो प्रकार हैं। पहले में प्रत्याशित ऋण हानि की संभावना को शामिल किया जाता है तथा दूसरे में अप्रत्याशित ऋण हानि को कवर करने के लिए रखी गयी पूंजी की लागत शामिल की जाती है।</p> <p>अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन इस जोखिम को प्रतिबिम्बित करने के लिए किए जाते हैं कि काउंटरपार्टी की प्रत्याशित चूक के कारण डीलर को अदायगी नहीं मिलेगी। इन समायोजनों में सामान्यतया</p>	<p>.....</p> <p>आम तौर पर डेरिवेटिव डीलर गतिशील क्रेडिट समायोजन का प्रयोग करते हैं जो ओटीसी डेरिवेटिव संविभाग के उनके काउंटरपार्टियों के साथ में हुए परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करते हैं। चूक जोखिम के लिए समायोजन के दो प्रकार हैं। पहले में प्रत्याशित ऋण हानि की संभावना को शामिल किया जाता है तथा दूसरे में अप्रत्याशित ऋण हानि को कवर करने के लिए रखी गयी पूंजी की लागत शामिल की जाती है। अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन इस जोखिम को प्रतिबिम्बित करने के लिए किए जाते हैं कि काउंटरपार्टी की प्रत्याशित चूक के कारण डीलर को अदायगी नहीं मिलेगी। इन समायोजनों में सामान्यतया नेटिंग व्यवस्था और कोलेट्रल को ध्यान में रखा जाता है। अतः, डीलर</p>

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
		<p>नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल को ध्यान में रखा जाता है। अतः, डीलर क्रेडिट जोखिम के लिए जो वास्तविक समायोजन करते हैं वे उन समायोजनों से कम होते हैं जिनमें नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल का ध्यान नहीं रखा जाता है। भारत में बैंकों को अभी तक डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए नेटिंग व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः, यदि अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड के लिए समायोजन का अनुमान लगाने के लिए बैंकों के पास मोडेल न हों, तो वे पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सम्भावित भावी एक्सपोज़र की गणना के लिए प्रयुक्त ऋण परिवर्तन गुणक के 20% के बराबर के गुणक का प्रयोग कर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान कर सकते हैं।</p>	<p>क्रेडिट जोखिम के लिए जो वास्तविक समायोजन करते हैं वे उन समायोजनों से कम होते हैं जिनमें नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल का ध्यान नहीं रखा जाता है। भारत में बैंकों को अभी तक डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए नेटिंग व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी गयी है। अतः, यदि अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड के लिए समायोजन का अनुमान लगाने के लिए बैंकों के पास मोडेल न हों, तो वे पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सम्भावित भावी एक्सपोज़र की गणना के लिए प्रयुक्त ऋण परिवर्तन गुणक के 20% के बराबर के गुणक का प्रयोग कर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान कर सकते हैं।</p> <p>.....</p>